| | | |
|---|---|---|
| 04/12/24 | पत्रावली पासे लिपिक पेश की। उन्न-<br>एक उपाय पार पत्रिका आदेश जारी किए<br>जाते हैं। पिछला लिपिक शामिल किया अतः<br>डिक्री पारित हो नकल दे कर दी।<br>लिपिक कराया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | GCMS<br>2013/00073 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– सदीप कुमार (आर. ए. एस.)

प्रकरण सं.–180/2013 दायरा दिनाकः– 24.07.2013

GCMS :- 2013/00073

1. सुरजाराम पुत्र श्री गगांबिशन (फौत) जरिये वारिसः–
   1/1 गुलाबीदेवी पत्नी
   1/2 लीलावती पुत्री } श्री सुरजाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
   1/3 मोहनलाल (फौत)
   1/3/1 शायरा पत्नी
   1/3/2 राकेश पुत्र
   1/3/3 रमेश पुत्र
   1/3/4 सुमन पुत्री } श्री मोहनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. भगवानाराम
3. गोपीराम } पिसरान श्री गंगाबिशन अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. राजाराम
5. इन्द्राज } पिसरान श्री काशीराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. छतुराम
7. श्रवणकुमार
8. देवीलाल उर्फ जयपाल } पिसरान श्री सुरजाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
9. राजेन्द्र पुत्र श्री भगवानाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. रिछपाल
11. बंशीलाल
12. राजाराम } पिसरान श्री सोहनलाल अकवाम बिश्नोइ साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
13. श्रवण
14. सिताराम } पिसरान श्री भजनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
15. भागीरथ
16. लक्ष्मण } पिसरान श्री सोहनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
17. मनीराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
18. बाधूदेवी पत्नी श्री पतराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
19. हनुमान पुत्र श्री धन्नाराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
20. हेतराम पुत्र श्री लाधूराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
21. कृष्णा पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज 2 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़





22. लक्ष्मीनारायण } पिसरान श्री हेतराम अकवाम बिश्नोई साकिनान
23. विष्णु } वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
24. सत्यानारायण पुत्र श्री शेराराम जाति छिम्पा साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ ।
2 अध्यक्ष नगरपालिका सूरतगढ।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188–207–209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :– **1. श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता – वादीगण**
**2 श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रतिवादी न. 1**
**3 पेरोकार राज जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।**

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 05.12.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादीगण ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण 1 ता 9 के नाम से चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 4/18 के पत्थर न. 37/378 के किला न. 23/2 ता 25 में 0.663 हैक व पत्थर न. 36/378 के किला न. 1 ता 4, 8 ता 14, 18 ता 21 में 3.517 हैक व पत्थर न. 37/379 के किला न. 1 ता 17, 19 ता 22, व 25 में 5.566 हैक व पत्थर न. 38/379 के किला न. 2 ता 9, 12 ता 25 में 5.365 हैक व पत्थर न. 37/380 के किला न. 4–5 में 0.481 हैक रकबा इस प्रकार कुल 15.611 हैक नाली दोयम मय रास्ता खाला खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है एव वादी सख्या 10 ता 12 के नाम बहिस्सा बराबर चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 47/45 के पत्थर न. 42/379 के किला न. 20 ता 23 में 0.746 हैक खातेदारी नाली दोयम व चक 36 पी.बी.एन. के खाता न. 83/73 के पत्थर न.49/378 (54) के किला न. 18 व 23 मे 0.405 हैक व पत्थर न. 53/379 के किला न. 1 ता 6 में 1.518 हैक कुल 1.923 हैक व वादी न. 13 व 14 के नाम चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 38/20 में 1/3 हिस्सा व वादी न. 15 व 16 का 1/3 हिस्सा का 2/7 हिस्सा में पत्थर न. 41/378 के किला न 13 ता 18,23 में 1.771 हैक व पत्थर न 40/378 का किला [illegible] में [illegible] हैक खाता कि कुल 2.277 हैक व वादी न. 17 के नाम चक 36 पी.बी.एन. के [illegible] 61/56 के पत्थर न. 52/379 के किला न. 1 ता 15 में 3.795 हैक व [illegible] 18 के नाम चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 29/31 के [illegible] किला न. 1,10,11,20/2 में 0.961 हैक व पत्थर न.39/379 के किला न. 16 ता [illegible] 19/1, 21 ता 25 में 2.201 हैक खाता कि कुल 3.162 हैक व वादी न. 19 व 20 के नाम से चक 37 पी.बी.एन के खाता 67/64 के पत्थर न. 36/379 के किला न. 5/4, 7, 14 ता 25 में 3.327 हैक व वादी

लगातार पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

संख्या 20 के नाम 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 21 के नाम 1/4 हिस्सा, वादी न. 22 ता 23 के नाम 1/4 हिस्सा में चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 72/68 के पत्थर न. 35/379 के किला न. 13 ता 25 में 3.289 हैक्ट व वादी न. 24 के नाम 1/2 हिस्सा में चक 35 पी.बी एन. के खाता सख्या 84/79 के पत्थर न. 31/376 का किला न. 3/2, 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में 3.722 हैक्ट व पत्थर न.39/377 के किला न. 1 ता 7 में 0.801 हैक्ट व पत्थर न. 32/378 के किला न. 11/1, 12 ता 15 में 1.202 हैक्ट कुल 5.725 हैक्ट रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण ने दावा में निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा नाली दोयम रकबा है जिसमे वादीगण घग्घर नाली का पानी सुखने पर गेहूं कि फसल काश्त करते है व प्रतिवादी न. 1 व 2 वादीगण के उक्त रकबा में सूरतगढ कस्बा क़ा गन्दा पानी जरिये पाईप लाईन डालने की कोशिश में है तथा वादीगण गेहूँ कि फसल काश्त करते है अगर प्रतिवादी न. 1 व 2 अपने मकसद में कामयाब हो गऐ तो सूरतगढ कस्बा के गन्दे पानी से वादीगण के रकबा मे दल–दल हो जावेगी व समय पर गेहूं कि फसल काश्त नही होगी जिससे वादीगण को नुकसान होगा तथा गन्दगी में पक्की हुई गेहूं कि फसल खाने से अनेको जानलेवा बिमारीया होगी इसलिए चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे । इस बाबत पहले वादीगण ने दिनांक 14.06.2023 को प्रार्थना पत्र प्रतिवादी न. 1 को दिया लेकिन कार्यवाही ना होने पर श्री मान जिला कलक्टर को 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया व 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जैरवाद वादीगण के खातेदारी रकबा में प्रतिवादी न. 1 व 2 किसी प्रकार कि दखलदाजी ना करे तथा जरिये पाईप लाईन सूरतगढ कस्बा का गन्दा पानी उक्त रकबा में ना छोडे.।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा प्रतिवादी न. 2 ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यो सें इन्कार करते हुऐ निवेदन किया कि वादीगण ने दावा मे झूठे तथ्य दर्ज करवाऐ है मुझ प्रतिवादी के विभाग के द्वारा बारीश होने पर मानकसर से हनुमानगढ बाईपास रोड. के दक्षिण दिशा में बारीश का पानी इकठठा होने पर शहर को बचाने के लिए एकत्रित पानी को बाईपास रोड. के नीचे बनी पक्की पुलिया से उतर दिशा में नाली बहाव श्रेत्र (घग्घर नदी ) में पानी मे वर्षा का पानी चला जाता है जिससे पानी की निकासी कर जनजीवन को होने वाली क्षति से दशको वर्षो से बचाया जाता आ रहा है। बारीश के व गन्दे पानी की निकासी के लिए नियमानुसार प्रशासन के निर्देशानुसार राजकीय व सार्वजनिक हित मे ही उचित व्यवस्था वर्षो पूर्व की, की हुई है ना कि वर्तमान में पाईप डाले जा रहे है। उक्त बाईप[illegible] का उतरी द्वार अविधिक रूप से स्वयं वादीगण के द्वारा ईन्ट पत्थर व [illegible]र अपने निजी हितो के लिए बन्द कर दिया है, जिसे खुलवाने की कार्यवाही [illegible] द्वारा की गई थी इसलिए वादीगण किसी भी [illegible]षेधाज्ञा प्रतिवादी के विरूध प्राप्त करने का हकदार नही है व शहर को बचाने के [illegible] बरसात के पानी का बहाव घग्घर नदी की तरफ होने से यह पानी घग्घर के पानी में चला जाता है, वादीगण स्वयं बदयान्त होकर अवैध रूप से पुलिया का द्वार एक तरफ से बन्द करके और दुसरी तरफ से घग्घर नदी के पानी को बन्धे बनाकर अवरूध करने का प्रयास करते है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कि विधी विरूध है। वादीगण ने बिना विधिक नोटिस दिऐ केवल सम्भावनाओ के आधार पर दावा प्रस्तुत किया है, जबकि नोटिस दिऐ जाने का आज्ञात्मक प्रावधान होने के बावजूद पालना नही की गई तथा दावा कम कोर्ट फीस पर पेश है इसलिए दावा खारीज करने का निवेदन किया अन्य प्रतिवादीगण ने कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया ।

दावा व जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की. गई

1. आया कि वादीगण वाके चक 37 पी.बी.एन. तह सूरतगढ जो वाद के पैरा संख्या 2 में अंकित रकबा के खातेदार कृषक है ? वादीगण
2. आया कि वादीगण का रकबा नाली दोयम का है जिसमे पानी सुखने पर गेहूं की फसल काश्त होती है ? वादीगण
3. आया कि वादीगण के रकबा मे सूरतगढ शहर का गन्दा पानी डालने से रकबा बन्जर हो सकता है ? वादीगण
4. आया कि वादीगण का वाद पत्र सिविल प्रकिया सहिता और रेवेन्यू कोई मैन्यूवल के प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत हुआ होने कें कारण निरस्ती योग्य है ? प्रतिवादी न. 1
5. अनतोष

तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतू नियत की गई । वादीगण की और से पी.डब्ल्यू.एक. वादी न. 4 राजाराम पुत्र काशीराम ने उपस्थित होकर शपथ पत्र पर अपने ब्यान पेश किये जाने पर जिरह शुमार की गई जिसमे वादी न. 4 ने वादीगण न. 1 ता 9 के नाम की संयुक्त खाता की जमाबन्दी वाके चक 37 पी.बी.एन. सम्वत 2069 ता 72 के खाता सख्या 4/18 की प्रमाणित प्रति को पदर्श न. 1 डालने का निवेदन किया । शेष वादीगण न. 10 ता 24 में कोई भी वादीगण ने ना तो साक्ष्य पेश किया व ना ही अपने नाम के दस्तावेजो पर प्रदर्श डाला व ना ही अपना दावा को प्रमाणित बाबत कोई साक्ष्य पेश किया न ही दावा प्रदर्श किया तथा प्रतिवादी न. 1 की स्वंय डी.डब्ल्यू. एक अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ स्वय उपस्थित होकर अपना शपत्र पत्र पेश किया जिसकी जिरह वकील वादीगण द्वारा शमाहित की गई अन्य कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया। दोनो पक्षो के साक्ष्य लिये जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे दावा स्वीकर कर प्रतिवादी को पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो वादीगण के रकबा मे ना तो गन्दा पानी डाले व ना बरसाती पानी पाईप से डाले व प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण ने केवल पानी डालने की सम्भावनाओ के आधार पर चिरस्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जबकि नगरपालिका का वादीगण के रकबा मे पा[illegible] का कोई इरादा नही है व ना ही प्लानिग है । प्रतिवादीगण को [illegible] है वादी के रकबा मे पाईप डालने की कोई योजना नही है, इसलिए दावा खारीज किया जावे । यहाँ तक की वादी न. 10 ता 24 ने अपने दावा को पदर्श नही किया है, इसलिए इनकी हद तक का दावा पढने योग्य नही है, इसलिये दावा खारीज किया जावे तथा वादीगण स्वयं बरसाती पानी रोकना चाहते है, जबकि बरसाती पानी का बहाव घग्घर नदी की तरफ है

लगातार पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कस्बा सूरतगढ मे लोगो को बरसाती पानी मे डूबने से बचाने के लिए बाईपास सड़क के नीचे बनी पुली के नीचे से बरसाती पानी घग्घर बहाव क्षेत्र में चला जाता है, वादीगण पुली के नीचे एक तरफ द्वार पर बन्धा बना देते है जिससे बरसाती पानी की निकासी में बाधा करते है इसलिए वाद वादीगण खारीज किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एव मौखिक साक्ष्यो का भी मनन किया व तनकी वार परीक्षण कर निर्णय करना उचित समझते है।

तनकी न. 1 :– **आया कि वादीगण वाके चक 37 पी.बी.एन. तह सूरतगढ जो वाद के पैरा संख्या 2 में अंकित रकबा के खातेदार कृषक है ?** वादीगण

इस तनकी का साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण न. 1 ता 24 ने यह दावा पेश कर अपने आपको जैरप्रकरण रकबा का खातेदार होने से स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जिसमे से केवल वादी न. 4 राजाराम पुत्र काशीराम ने ही उपस्थित होकर अपने सयुक्त खाता की जमाबन्दी चक 37 पी.बी.एन. के खाता संख्या 4/18 तादादी 15.611 हैक्ट जो वादी न. 1 ता 9 के नाम सयूक्त खाता मे है, पर प्रदर्श न 1 अंकित पेश किया शेष वादीगण जिनका रकबा अन्य चको मे है व अन्य खातो मे है, के बाबत वादी न. 10 ता 24 ने उपस्थित होकर या किसी भी एक सह खातेदार ने उपस्थित होकर अपना दावा को प्रदर्श नही किया व ना ही कोई दस्तावेज प्रदर्श नम्बर अंकित किया है। इस वाद में वादी न. 1 ता 9 का रकबा जो 37 पी.बी.एन. के खाता संख्या 4/18 मे स्थित के बाबत केवल सह खातेदार राजाराम ने अपने खाता की जमाबन्दीयो पर प्रदर्श न. एक साक्ष्य वादी में डलवाया जाने का निवेदन किया है, शेष किसी भी वादीगण ने अपने सयूंक्त खाता का रकबा के बाबत दस्तावेज एक्जीवीट नही करवाया व ना ही कोई साक्ष्य पेश नही किया है व इसलिए वादीगण न. 1 ता 9 ने अपने ब्यानो मे चक 37 पी.बी.एन. के 15.611 हैक्ट नाली दोयम मय खाला रास्ता रकबा खातेदारी साबित किया है, शेष वादीगण ने अपना दावा एक्जीविट भी नही किया है, इसलिए इस तनकी का निर्णय वादीगण 1 ता 9 तक का बहक वादी किया जाता है शेष वादीगण 10 ता 24 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दीया पढे जाने योग्य नही है, इसलिये इस तनकी न 1 का निर्णय वादीगण 10 ता 24 की हद तक खिलाफ किया जाता है।

**तनकी न. 2 – आया कि वादीगण का रकबा नाली दोयम का है जिसमे पानी सुखने पर गेहूं की फसल काश्त होती है ?** **वादीगण**

इस तनकी का साबित करने का भार वादीगण पर है। जमाबन्दी के अनुसार तो उक्त रकबा नाली दोयम का साबित है परन्तु जमाबन्दी के अलावा इस तनकी को साबित करने के लिए वादीगण ने कोई दस्तावेज साक्ष्य गिरदावरी इत्यादि पेश नही की है, जिससे यह साबित है कि यह गेहूं कि फसल काश्त [illegible] अन्य फसल इसलिए इस तनकी को भी वादीगण सिद्ध नही [illegible] का निर्णय भी खिलाफ वादीगण व बहक प्रतिवादी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न. 3 – **आया कि वादीगण के रकबा मे [illegible]गढ शहर का गन्दा पानी डालने से रकबा बन्जर हो सकता है ?** **वादीगण**

इस तनकी का साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने शंका जाहिर किया है कि प्रतिवादीगण न. 1 वादीगण के रकबा मे पाईप लाईन सूरतगढ कस्बा का

लगातार पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

गन्दा पानी डालने की कोशिश मे है व गन्दा पानी डाल दिया तो भूमि दलदल हो जावेगी व बजड़ हो जावेगी, के बाबत शंका जाहिर की है तथा इसके खिलाफ अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ ने अपने साक्ष्यो मे कहा कि शहर सूरतगढ का बरसाती पानी का बहाव घग्घर बहाव क्षेत्र मे है, इसलिए सूरतगढ कस्बा का बरसाती पानी पूली के नीचे से होकर घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र मे जाता है तथा वादीगण ने पूली के नीचे एक तरफ से बन्द करके बरसाती पानी को रोकना चाहता है। चुकि जैरप्रकरण रकबा वादीगण न. 1 ता 9 का खातेदारी रकबा है। इसलिए गन्दा पानी डालने की कोई योजना नही है, क्योकि सीवरेज का पानी अलग स्थान पर टीटमेन्ट प्लाट लगाया हुआ है, वादीगण ने केवल संभावना व्यक्त कि है कि पाईप लाईन के माध्यम से पानी डालेगे, प्रतिवादीगण की ऐसी कोई योजना नही है तथा बरसाती पानी जो वादीगण के रकबा से आगे चला जाता है तथा वर्तमान मे गन्दा पानी डाला जा रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य वादीगण ने पेश नही किया है, इसलिये इस तनकी के समर्थन मे वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नही करने से इस तनकी का निर्णय खिलाफ वादी बहक प्रतिवादी किया जाता है।

**तनकी न. 4 :– आया कि वादीगण का वाद पत्र सिविल प्रकिया सहिता और रेवेन्यू कोई मैन्यूवल के प्रावधानो के विपरीत प्रस्तुत हुआ होने कें कारण निरस्ती योग्य है ? प्रतिवादी न. 1**

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है, इस प्रकरण मे उभय पक्ष के साक्ष्य होने पर मेरिट पर निर्णय किया जा रहा है इसलिए तकनीकी त्रृटि के आधार पर दावा निरस्त करना उचित नही है इस तनकी का निर्णय खिलाफ प्रतिवादी किया जाता है।

**अन्य अनतोष :** – इस अनूतोष मे हम खर्चा उभय पक्ष अपना– अपना वहन करेगे का निणर्य करना उचित समझते है।

इस प्रकार तनकीयात न. 1 ता 4 का निर्णय आशिक वादीगण एव आशिक प्रतिवादी किया गया है । इसलिए न्यायहित मे दोनो पक्षो को ही पाबन्ध करना उचित समझते कि वादीगण न 1 ता 9 के खातेदारी वाके चक 37 पी.बी.एन. सम्वत 2069 ता 72 के खाता सख्या 4/18 की 15.611 हैक नाली दोयम रकबा मे प्रतिवादी न. 1 को सीवरेज का बिना ट्रीट किऐ पानी को ना डाले, के लिए पाबन्ध किया जाना उचित समझते है, तथा वादीगण को भी पाबन्ध किया जाना उचित है कि वो कस्बा सूरतगढ के रिहायशी ऐरिया का बरसाती पानी जो घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में जाता है, इस पानी को घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र मे जाने मे किसी तरह की कोई रूकावट पैदा ना करे ।

**अतः वाद वादीगण 1 ता 9 आशिक रूप स्वीकार कर प्रतिवादी न. 1 को पाबन्ध किया जाता है कि वो वादीगण न. 1 ता 9 के नाम कि चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 4/18 के 15.611 हैक रकबा मे सीवरेज का गन्दा पानी, बिना ट्रीट किये नही डाले तथा वादीगण को पाबन्ध किया जाता है कि वो कस्बा सूरतगढ के रिहायशी क्षेत्र का बरसाती पानी जो [illegible] नदी के बहाव क्षेत्र मे जाता है, मे किसी तरह कि रूकावट पैदा ना करे । वादीगण न 10 ता 24 का दावा अस्वीकार किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दफतर दाखिल हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

(ओ0 21 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1 सुरजाराम पुत्र श्री गगांबिशन (फौत) जरिये वारिसः–

1/1 गुलाबीदेवी पत्नी }
1/2 लीलावती पुत्री } श्री सुरजाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

1/3 मोहनलाल (फौत)

1/3/1 शायरा पत्नी }
1/3/2 राकेश पुत्र }
1/3/3 रमेश पुत्र }
1/3/4 सुमन पुत्री } श्री मोहनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

2 भगवानाराम }
3 गोपीराम } पिसरान श्री गंगाबिशन अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

4 राजाराम }
5 इन्द्राज } पिसरान श्री काशीराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

6 छतुराम }
7 श्रवणकुमार }
8 देवीलाल उर्फ जयपाल } पिसरान श्री सुरजाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

9 राजेन्द्र पुत्र श्री भगवानाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

10 रिछपाल }
11 बंशीलाल }
12 राजाराम } पिसरान श्री सोहनलाल अकवाम बिश्नोइ साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

13 श्रवण }
14 सिताराम } पिसरान श्री भजनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

15 भागीरथ }
16 लक्ष्मण } पिसरान श्री सोहनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

17 मनीराम पुत्र श्री पन्नाराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

18 बाधूदेवी पत्नी श्री पतराम जाति बिश्नोई साकिन मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

19 हनुमान पुत्र श्री धन्नाराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

20 हेतराम पुत्र श्री लाधूराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

21 कृष्णा पत्नी हेतराम जाति बिश्नोई साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

लगातार पेज 2 पर

वाद संख्याः– 180 / 2013
सूरजाराम बनाम अधिशाषी अधिकारी आदि।

22 लक्ष्मीनारायण } पिसरान श्री हेतराम अकवाम बिश्नोई साकिनान
23 विष्णु } वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
24 सत्यानारायण पुत्र श्री शेराराम जाति छिम्पा साकिन वार्ड न. 08 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

– वादीगण

बनाम

1 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ ।
2 अध्यक्ष नगरपालिका सूरतगढ।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा 188– 209 आर टी एक्ट मुकदमा न. 180 वर्ष 2013 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सूभाषचन्द्र बिश्नोई व प्रतिवादी न 1 के वकील श्री शिशपाल शर्मा व पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

**वाद वादीगण 1 ता 9 आशिक रूप स्वीकार कर प्रतिवादी न. 1 को पाबन्ध किया जाता है कि वो वादीगण न. 1 ता 9 के नाम कि चक 37 पी.बी.एन. के खाता सख्या 4/18 के 15.611 हैक रकबा मे सीवरेज का गन्दा पानी, बिना ट्रीट किये नही डाले तथा वादीगण को पाबन्ध किया जाता है कि वो कस्बा सूरतगढ के रिहायशी क्षेत्र का बरसाती पानी जो अनूपगढ–सूरतगढ पुलिया के नीच से घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र मे जाता है, में किसी तरह कि रूकावट पैदा नही करे । वादीगण न 10 ता 24 का दावा अस्वीकार किया जाता है।**

नोज ..........X........... मुबलिग ........... X ......... बाबत ........ X ......... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह ........... X ........... फस्दों की पालना ...... X .................... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.12.2024 .को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.06 10:40:29 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)